

अनुसूची सं.-53 फार्म सं 196

Schedule LIII – F. No. 196

मूल नियमावली के नियम 81 आदि

बिहार सेवा संहिता के नियम 291 आदि

बिहार सेवा संहिता के नियम 334 उ, आदि

पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली

के अधीन छुट्टी के लिए आवेदन

Application for Leave of Absence under

Fundamental Rules 81, etc.

B. & O. Service Code Rules 291, etc.

B. & O. Service Code Rules 334 E, etc.

Regarding Revised Leave Rules.

पदाधिकारी का नाम और धारित पद Name of Officer and appointment he/she holds	छुट्टी का विवरण Description of Leave	आवेदित छुट्टी की अवधि और छुट्टी किस तारीख से आरम्भ होगी Period of leave applied for and the date from which to commence	पिछली छुट्टी एवं उससे लौटने की तारीख Last leave and date of return there from	अनुपस्थित होने वाले व्यक्ति के कार्य की व्यवस्था के संबंध में सुझावों के साथ उपस्थित पदाधिकारी की सिफारिश Recommendation of Superior Officer with Suggestions as to Arrangements for the Absence's Work
<p>टिप्पणी - बिहार सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन छुट्टी के आगे या पीछे प्राधिकृत बिहार सेवा संहिता के नियम 272 अवकाशों का जोड़ने का आवेदन, छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी के पास छुट्टी का आवेदन करने के साथ ही किया जाए.</p> <p>N.B. – Any application to prefix or affix authorised holidays to leave under S.R. 166 B.&amp;O. Service Code Rule 272 should be made to the authority sanctioning the leave of the time when the application for leave is submitted.</p>				<p>..... आवेदक का हस्ताक्षर</p>